

प्रेस- विज्ञप्तिथाना- बरदहअवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 28.02.23 को उ०नि० भगत सिंह मय उ०नि० सीताराम यादव के चौकी ठेकमा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वाछिंत/वारण्टी मे मामूर थे कि सूचना मिली की सादीपुर पोखरे के पास एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पास देशी तमंचा कारतूस है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस उक्त स्थान पर पहुंचकर उस व्यक्ति को आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए पश्चिम सादीपुर सड़क पर समय 11.00 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम आजाद सिंह पुत्र रामफेर सिंह निवासी सादीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया चूकिं अभि० का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट का अपराध है अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस लिया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु०अ०स० 82/2023 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि० थाना बरदह, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना
1	141/21	147/148/149/452/307/ 302 भादवि व 7 CLA ACT	बरदह जनपद आजमगढ़
2	144/21	307/34,504,506 IPC व 3/25 A ACT	बरदह जनपद आजमगढ़
3	102/22	3(1) यू०पी० गैगेस्टर एक्ट	बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-आजाद सिंह पुत्र रामफेर सिंह निवासी सादीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1-एक अदद तमंचा .303 बोर

2- एक अदद जिन्दा कार० .303बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

भगत सिंह (उ०नि०) चौकी प्रभारी ठेकमा थाना बरदह आजमगढ़

सीताराम यादव (उ०नि०) थाना बरदह आजमगढ़

थाना दीदारगंज**किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व का विवरण- दि० 11.02.2023 को वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 23/2023 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम अखिलेश यादव पुत्र सदाबृज यादव सा० सलाहुद्दीनपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था जिसमें वांचित चल रहा था

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 28.02.2023 को उ०नि० मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश कुमार यादव पुत्र सदाबृज यादव ग्राम सलाहुद्दीनपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ को पुष्पनगर सोसाईटी के पास रोड से समय 08.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अखिलेश कुमार यादव पुत्र सदाबृज यादव ग्राम सलाहुद्दीनपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	23/2023	506/354 व 7/8 पोक्सो एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र०नि० विजय प्रताप सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना-देवगांव

भूमि को कब्जा करने वाला एवं लोगों को भड़काकर जबरजस्ती भूमि पर अवैध कब्जा करने एवं वादी मुकदमा के साथ मार

पीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाला अभियुक्त प्रमोद यादव (B.D.C.) गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक- 04.02.2023 को वादिनी उर्मिला प्रजापति पत्नी नन्दू प्रजापति ग्राम पोस्ट करिया गोपालपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी 1. प्रमोद यादव पुत्र स्व० बाबूराम यादव निवासी ग्राम करिया गोपालपुर, थाना देवगांव, आजमगढ़ आदि 09 नफर द्वारा राजस्व विभाग के आदेश व पैमाईश के बावजूद भी वादिनी की जमीन में ईट, करकट रखकर अवैध कब्जा करना तथा विरोध करने पर वादिनी व वादिनी के लड़के जगदिश प्रजापति पुत्र नन्दू प्रजापति को लाठी डण्डा के साथ हमला कर देने तथा लाठी डण्डा, लात मुक्को से मारने पीटने जिससे जगदिश प्रजापति उपरोक्त को गम्भीर चोट आने तथा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने व मिट्टी का बर्तन, डिजल मशीन को तोड़ देने के सम्बन्ध में दाखिल किया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 47/2023 धारा 323/504/506/327/352/427/329/34 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी तथा अभियुक्त की तलाशी की जा रही थी।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 28.02.2023 को गजानन्द चौबे थाना देवगाँव आजमगढ़ व व०उ०नि० रत्नेश कुमार दूबे द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रमोद यादव (B.D.C करिया गोपालपुर) पुत्र बाबूराम यादव निवासी करिया गोपालपुर, थाना देवगाँव, आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम करिया गोपालपुर से समय करीब 01.30 AM बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 47/2023 धारा 323/504/506/327/352/427/329/34 भा०द०वि०, थाना देवगाँव, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त- प्रमोद यादव पुत्र स्व० बाबूराम यादव निवासी ग्राम करिया गोपालपुर, थाना देवगाँव, आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

क्र.सं.	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जिला
1.	226/2017	323, 325, 452, 504, 506	देवगाँव	आजमगढ़
2.	164/2020	323, 504 भादवि व 3(1)(द), 3(2)(va) SC/ST एक्ट	देवगाँव	आजमगढ़
3.	47/2023	323/504/506/327/352/427/329/34 भा०द०वि०	देवगाँव	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- प्रमोद यादव पुत्र स्व० बाबूराम यादव निवासी ग्राम करिया गोपालपुर, थाना देवगाँव, आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र०नि० गजानन्द चौबे थाना देवगाँव आजमगढ़
2. व०उ०नि० रत्नेश कुमार दुबे थाना देवगाव जनपद आजमगढ़
3. उ०नि० इल्ताफ खान थाना देवगाव जनपद आजमगढ़
4. उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद यादव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़
5. हे०का० तनवीर असलम थाना देवगाव जनपद आजमगढ़
6. का० विनय यादव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़
7. का० अविनाश यादव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़
8. का० कुलदीप वर्मा थाना देवगाव जनपद आजमगढ़
9. का० जितेन्द्र यादव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़

थाना-महराजगंज

बाइक चोरी की घटना का अनावरण; चोरी की बाइक के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – दिनांक- 15.02.2023 को वादी मुकदमा हरेन्द्र निषाद पुत्र सोमई निषाद ग्राम गहजी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भलुवाई मोड़ के पास से वादी का मोबाइल व बाइक चोरी कर ली गयी है, मु०अ०सं० 72/23 धारा 379 भा०द०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक 27.02.2023 को थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा मय हमराह उ०नि० माखन सिंह को सूचना मिली कि दो व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल लेकर बेचने के लिए परशुराम पुल के पास स्कूल के गेट के सामने खड़े हैं, किसी के आने का इन्तजार कर रहे हैं। मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल के साथ खड़े दोनो व्यक्ति मोटरसाइकिल मौके से पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम राघवेन्द्र शुक्ला उर्फ राहुल पुत्र स्व० दुर्गा प्रसाद शुक्ला ग्राम नरायनपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम श्याम शर्मा उर्फ अन्तू पुत्र स्व० रामराज शर्मा ग्राम नरायनपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्तियों में अभियुक्त राघवेन्द्र शुक्ला उर्फ राहुल के के पास से एक

अदद मोबाइल सैमसंग एन्ड्रायड, एक अदद मोबाइल नोकिया कीपैड एवं अभियुक्त श्याम शर्मा उर्फ अन्तू के पास से एक अदद मोबाइल रेडमी एन्ड्रायड बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में पूछने पर दोनो अभियुक्तो ने अपनी मोबाइल होना बताये। दोनो अभियुक्तो को साथ लेकर विद्यालय के गेट पर खड़ी मोटर साइकिल के पास आये। देखा गया तो मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर काले रंग की जिस पर UP50F-0813 की नम्बर प्लेट लगी हुई है। नम्बर प्लेट देखने से संदेह होने पर ई चालान ऐप पर चेसिस नम्बर MBLJAR031J9E62387 चेक करने पर बरामद सुदा मो0 सायकिल जिस पर UP50F0813 की नम्बर प्लेट लगी है उसका वास्तविक नम्बर UP50BH6808 ज्ञात हुआ। ई-चालान ऐप पर UP50BH-6808 चेक करने पर वाहन स्वामिनी का नाम चन्दा निषाद पुत्री घरभरन निषाद ग्राम गहजी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ मो0नं0 988xxxxxx ज्ञात हुआ।

➡गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 13.02.2023 को मेरे बहनोई हरेन्द्र निषाद पुत्र सोमई निषाद ग्राम गहजी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ से भलुवाई मोड़ थाना विलरियागंज क्षेत्र से चोरी चली गयी थी जिसके सम्बन्ध में मेरे बहनोई हरेन्द्र निषाद ने दिनांक 15.02.2023 को थाना बिलरियागंज में मु0अ0सं0 72/23 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत कराये थे।

➡बरामदशुदा बाइक के सम्बन्ध में दोनो अभियुक्त दिनांक 13.02.2023 की रात में भलुवाई मोड़ के पास से एक व्यक्ति के पास से यह मोटर साइकिल चुराया था तथा छिपाकर राघवेन्द्र शुक्ला उर्फ राहुल ने अपने घर में रखा था। अभियुक्त राघवेन्द्र शुक्ल उर्फ राहुल तथा श्याम शर्मा उर्फ अन्तू उपरोक्त का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 41, 411, 414, 473 भा0द0वि0 दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर समय 19.10 बजे उक्त दोनो अभियुक्तो को हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 67/23 धारा 41, 411, 414, 473 भा0द0वि0 थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. राघवेन्द्र शुक्ला उर्फ राहुल उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 67/23 धारा 41, 411, 414, 473 भा0द0वि0 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 72/23 धारा 379 भा0द0वि0 थाना रौनापार आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 285/22 धारा 406,420 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

2. श्याम शर्मा उर्फ अन्तू उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 67/23 धारा 41, 411, 414, 473 भा0द0वि0 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 72/23 धारा 379 भा0द0वि0 थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. राघवेन्द्र शुक्ला उर्फ राहुल पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद शुक्ला ग्राम नरायनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

2. श्याम शर्मा उर्फ अन्तू पुत्र स्व0 रामराज शर्मा ग्राम नरायनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

01 मोटरसाइकिल चोरी का सामान बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा मय हमराह उ0नि0 माखन सिंह, हे0का0 सुबाष यादव, म0आ0 प्रियंका भारती, होमगार्ड सुरेश यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना- तरवां

अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

दि0-28.02.23 को उ0नि0 सौरभ कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान फद्दपुर तिराहे पर मु0अ0सं0 306/22 धारा 308/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. आशीष यादव पुत्र पोल्हावन यादव उम्र करीब 18 वर्ष को 01 अवैध पिस्टल व एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर व एक अदद खोखा कारतूस .32 बोर बरामद समय करीब 13.25 बजे फद्दपुर तिराहा पर से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 47/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 47/22 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	47/22	3/25 आर्म्स एक्ट	तरवां	आजमगढ़
2	306/22	308/504/506 भादवि	तरवां	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - 1 आशीष यादव पुत्र पोल्हावन यादव, 2. एक बाल अपचारी

बरामदगी- एक अदद अवैध पिस्टल व एक अदद जिन्दा कारतूस .32 , एक अदद खोखा कारतूस .32

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 सौरभ कुमार त्रिपाठी मय हमराह हे0का0 सुरेन्द्र प्रताप यादव , का0 बलवन्त यादव , का0 अमित यादव

थाना पवई

प्रा0विद्यालय में हुयी चोरी की घटना का अनावरण; चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक- 27.2.2022 को वादी उत्तमचन्द पुत्र मोखूराम नि0 ग्रा0 चकडेडवानी पो0छाऊ थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़, प्रधानाध्यापक प्रा0वि0 चकरामगरीब उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोर द्वारा विद्यालय के ताला व दरवाजे को तोड़कर गैसचुल्हा, सिलेण्डर, बर्तन प्लेट 07 अदद, चावल 10 किलो, खेल सामग्री बच्चो के चुरा ले गये है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 52/23 धारा 380 ,457 भादवि पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण:- उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा आज दिनांक 2.2.2023 को मु0अ0सं0 52/23 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश मे आये अभियुक्त कल्लू पुत्र महेन्द्र निवासी सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को मय चोरी के माल एक अदद सिलेण्डर व एक अदद चुल्हा के साथ समय करीब 12.15 बजे बागबहार पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है । अभियुक्त का चालान चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 27.2.2023 की रात मे चकरामगरीब बागबहार स्कूल से दरवाजा व ताला तोड़कर गैस सिलेण्डर ,गैस चुल्हा व चावल,प्लेट,व कुछ खिलौने चुराया था जिसमे चावल को मैने बेच दिया था जिसका पैसा खर्च हो गया तथा गैस सिलेण्डर व गैस चुल्हे को छिपा के रख दिया था कि एकाएक दो दिन के बाद जब मामला शान्त हो जायेगा तो किसी बहाने गोधना जाकर बेच दुंगा उससे कुछ पैसे मिल जायेगे । तथा खिलौना व प्लेट को रात मै ही मैने कही फेक दिया रात का समय था मुझे याद नही है कि कहा फेका था आज इसको बेचने के लिए बोरी मे छिपाकर रखकर ले जा रहा था कि लोगो को पता न चले कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया ।

पंजीकृत अभियोग: मु0अ0सं0 52/23 धारा 457/380/411 भादवि, थाना पवई, आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 52/23 धारा 457/380/411 भादवि, थाना पवई, आजमगढ़ ।

बरामदगी --- एक अदद गैस सिलेण्डर इस्तेमाली व एक अदद चुल्हा

गिरफ्तार अभियुक्त:—

1- कल्लू पुत्र महेन्द्र निवासी सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 पवन कुमार सिंह हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना पवई, आजमगढ़ ।